[Social Issues and Environmental Problems,Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3238

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

सामाजिक समस्याएं व पर्यावरण : उच्चतम न्यायालय की भूमिका

मुकेश दीक्षित
शासकीय गैरतगंज महाविद्यालय रायसेन (म.प्र.)

पर्यावरण से मानव का गहरा संबंध है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया, उसने पर्यावरण को अपने साथ जोड़े रखा है। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, पर्वत, वन, नदियां, महासागर, जल इत्यादि का प्रयोग मनुष्य मानव विकास के आरंभ से करता आ रहा है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में लकड़ी, भोजन, वस्त्र, दवायें इत्यादि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक सम्पदा का शुरू से उपयोग किया है और वर्तमान मे निरंतर जारी है। सामाजिक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि में पर्यावरण को प्रभावित किया है। औद्योगीकरण के कारण व्यक्ति आज अपनी आवश्यकता के अनुरूप पर्यावरण को बदलने के लिये सक्रिय कारक बन गया है। वनो का विनाश वायु एवं जलीय प्रदूषण एवं कृषि उत्पादन हेतु कीटनाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग ने वातावरण में व्यापक परिवर्तन किये है। अकाल सूखा अतिवृष्टि भूकम्प एवं महामारी जैसे विभिन्न प्रकार के रोग मानव सभ्यता के विनाश के कारण बने हुए हैं। आज औद्योगीकरण के चरम विकास के साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
वसुन्धरा ज्ञात गृहों से सबसे सुन्दर है और मनुष्य उसकी श्रेष्ठतम कृति। इस पृथ्वी पर जीवन लगभग डेढ़ करोड़ वर्ष पहले से है। जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मानव जाति का उद्दभव हुआ। सभी जीवों में ''मानव जीवन'' श्रेष्ठ है। इसकी बौद्धिक, शारीरिक क्षमता अन्य जीवों की तुलना में अत्याधिक विकसित है।
मुनष्य की आँख प्राकृतिक पर्यावरण में ही खुली। उसने अपने जन्म के साथ ही प्राकृतिक वातावरण के तत्वों (हवा, जल, वनस्पति, मिट्टी इत्यादि) का उपयोग अनिवार्य रूप से करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण का उपभोग चाहे जाने–अनजाने किया हो या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन अपने जन्म के साथ ही उपभोग प्रारम्भ कर दिया। अतः मनुष्य का पर्यावरण से अविभाज्य संबंध है। पर्यावरण से मानव का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ''ऋग्वेद''में भी प्राकृतिक तत्वो की आराधना शान्ति के लिए की गई। जिससे मनुष्य भी शान्तिमय व सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।

''द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वड् शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषध्यः शान्ति।
वनस्पतस्यः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति। ब्रहाशान्तिः सर्व ग्वड् शान्तिदे शान्तिः
सा मा शान्तिरेधिः। शान्ति। शन्ति। शान्ति।''

प्राचीनकाल में मानव जीवन पूर्णतः नैसर्गिक शक्तियों पर आश्रित था। ऐसी मान्यता थी कि निसर्ग (प्रकृति) में मानव काल्यण या अकल्याण की उद्भुत शक्ति है। वेदों में इन्ही प्राकृतिक शक्तियों की प्रसन्न्ता एवं इनसे अपने कल्याण एवं सुख–समुद्धि की प्राप्ति के लिए स्तुतियों का विधान किया गया है। अग्नि, मस्त, वरूण, सोम, सविता, पृथ्वी, उषस्, वृक्ष–वनस्पतियों इत्यादि सभी वैदिको के पूज्य रहे है। इनकी उपासना न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशो में भी की जाती रही है और आज भी जारी है। जैसे ज्वालामुखी पर्वतों व ज्वालामुखी को पूजना।[1]
रूरल लिटिगेशन एन एन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र देहरादून बनाम उ.प्र. राज्य[2] के वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने रिपोर्ट दिया कि कुछ पत्थर की खानो की खुदाई के कारण आस–पास का पर्यावरण दूषित

हो रहा था और लोगो को हानि हो रही थी। परिणामतः न्यायालय ने इन पत्थर की खानो की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ[3] के वाद में याचिकाकर्ता ने गंगा जल प्रदूषण के विरूद्व लोकहित वाद दायर किया और न्यायालय से सम्बन्धित प्राधिकारियो को उचित आदेश देने की सिफारिश की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि गंगा जल प्रदूषण एक सार्वजनिक उपताप है जिसके खिलाफ लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के उपबन्धो द्वारा नगर निगम एवं प्रदूषण बोर्ड पर अधिरोपित विधि के कर्तव्यो के पालन हेतु न्यायालय में लोकहित वाद दायर करने का अधिकार है।

सुभाष ठाकुर बनाम बिहार राज्य[4] के मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग को जो अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार है सुरक्षित रखने के लिए लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या सामाजिक कार्यकर्ताओ का पक्षकारो को जल और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन वाद लाने का अधिकार है।

काउन्सिल फार एनविरो लीगल एक्सन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[5] में उच्चतम न्यायालय ने भारत के समुद्री तटक्षेत्रो में स्थित कारखानो द्वारा परिस्थिति की और पर्यावरण को होने वाली क्षति से संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जिससे सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धो को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, प्रस्तुत ववाद में एक स्वेच्छिक संस्था ने एक लोकहित वाद दायर करके देश के विशाल समुद्री तट क्षेत्रो को खतरनाक किस्म के कारखानो से होने वाली क्षति की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

इसमें यह उल्लेखित किया गया कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया था कि इन क्षेत्रो में कई खतरनाक किस्म के कारखानो की स्थापना की गई थी। इस मामले में **न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह**[6] ने न्यायालय का निर्णय सुनात हुऐ कहा कि ऐसे मामलो के विषय में सम्बन्धित उच्च न्यायालयो को अधिक उचित जानकारी है अतः उन्हे वहां उठाया जाना चाहिए जो उसको रोकने के लिए समुचित निर्देश देंगे। न्यायमूर्ति ने सम्बन्धित उच्च न्यायालयो में **हरीपीठ (Greeb Tribunal)** की स्थापना का सुझाव दिया जो इस प्रकार के मामलो की सुनवाई करे और निपटारा करे। इसी तारतम्य में म.प्र. में राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ की स्थापना भोपाल में की गयी है, जिसके न्यायिक सदस्य **माननीय न्यायधिपति दलीप सिंह** है। ग्रीन ट्रिबूनल में आये दिन मुकदमें दर्ज हो रहे है।

इन्द्री ध्वनि प्रदूषण[7] के ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन व्यतीत करने का अधिकार है इस प्रकरण में श्री अनिल कुमार मित्तल ने लोकहित वाद दायर करके न्यायालय से इस बात का अनुरोध किया कि वह सरकार को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बनाई गई विधियों को कठोरता से क्रियान्वयन करने का निर्देश दे। वाद दायर करने का प्रमुख कारण यह था कि वर्ष 2005 में एक 13 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, किन्तु पड़ोस में धार्मिक समारोह में लाउडस्पीकर की जोर की ध्वनि से उस बालिका के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नही पड़ी, इसके पश्चात वह आग लगाकर जलकर मर गई। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण में अनेक घटनाओ का जिक्र किया, जिससे धार्मिक समारोह, राजनीतिक दलो द्वारा बजाए गए लाउडस्पीकर तथा विवाह के अवसरो पर आधुनिक बाद्य यंत्रो (डी. जे.) के बजने के कारण उत्पन्न ध्वनि के बजह से समाज के सभी वर्गो, छात्रो, नवजात शिशुओ, मरीजो को कष्ट पहुंचता है और उनका जीवन कष्टमय हो जाता है।

न्यायालय ने प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो को निम्नलिखित निर्देश दिये है, जिनका सार संक्षेप इस प्रकार है–

(1) पटाखो की ध्वनिस्तर प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोका होगी।

(2) पटाखो की दो श्रेणीयों होगी तथा दस डिसबल से अधिक नही होना चाहिए।

(3) स्कूल के बच्चो को जागरूक करने हेतु पाठयक्रम में शामिल किया जावे।

प्रदूषण के नये आयाम के रूप में वर्तमान में आत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणो यथा– इयरफोन, मोबाईल फोन आदि का उपयोग लोग सोते, जागते, घुमते, वाहन चलाते समय कर रहे है, जिससे जीवन और स्वास्थ्य

के प्रति संकट उत्पन्न हो रहा है एवं दुर्घटना बढ़ रही है, इसके ऊपर जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण समाज के लिये वर्तमान समय में एक खतरा बनता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारणो के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक उपकरण भी है।

संदर्भ

1. *पर्यावरण प्रबन्धन एवं संविकास प्रमोद पगारे एबीडी पब्लिशर प्रथम संस्करण पृष्ठ क्रमांक 87*
2. *(1988) एस.सी.सी. 471*
3. *ए.आई.आर. 1991 एस.सी.420*
4. *(1985) 2 एस.सी.सी. 431*
5. *(1996) 5 एस.सी.सी. 281*
6. *यथा*
7. *ए.आई.आर.2005 एस.सी.3036*